

कार्यालय, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी.टी.नगर, भोपाल

कमांक/प्रशासन/भंडार/आविभो/020/2026

भोपाल, दिनांक 08/04/2026

Tender Document  
Technical-Cum-Commercial Bid

1. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी.टी. नगर भोपाल में छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण विज्ञान केन्द्र, मानव संग्रहालय, शौर्य स्मारक देखने हेतु 52 सीटर नॉन एसी लग्जरी बस व्यवस्था दिनांक 16/04/2026, 17/04/2026, 18/04/2026, तक प्रतिदिवस 07 बस व्यवस्था हेतु दरें आमंत्रित की जाती है।
2. यह आमंत्रण ऐसे ट्रेवल्स एजेंसियों के लिए खुला है, जिनके पास इस क्षेत्र में निम्नतम 03 वर्ष का अनुभव है। एवं वर्तमान में शासकीय/व्यवसायिक उपक्रम में गाडी सप्लायी कार्य किया जा रहा हो।
3. कोटेशन में उल्लेखित निम्नतम दर 52 सीटर नॉन एसी लग्जरी बस व्यवस्था ट्रेवल्स एजेंसी /व्यक्ति के चयन के लिए एकमात्र मापदंड नहीं है। ऐसी फर्मों द्वारा प्रस्तुत कोटेशन जिनके पास 03 वर्ष का अनुभव अथवा उपलब्ध बसों में आरटीओं द्वारा निर्धारित बस सुविधाएं, दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उन पर विचार नहीं किया जावेगा। एवं उनकी कोटेशन दरें अस्वीकार कर दी जावेगी।
4. 52 सीटर नॉन एसी लग्जरी बस व्यवस्था हेतु ट्रेवल्स एजेंसियों/व्यक्ति निर्धारित टेन्डर फार्म दिनांक 09/04/2026 से 10/04/2026 तक कार्यालयीन समय अपरान्ह 12:00 से 03:00 बजे तक विद्यालय वेबसाईट में उल्लेखित शुल्क राशि पर प्राप्त करना होगा। एवं प्रस्तावित दरें दिनांक 10/04/2026 को अपरान्ह 03:00 बजे तक विद्यालय में प्रदान करना होंगी।
5. शैक्षणिक भ्रमण हेतु 52 सीटर नॉन एसी लग्जरी बस व्यवस्था हेतु भौतिक रूप से ट्रेवल्स हेतु प्रदान की जाने वाली बसों का समिति द्वारा परीक्षण कर आवश्यक निर्णय लिया जावेगा।
6. ट्रेवल्स एजेंसियों को छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण दौरान बसों में ऐसे ड्राईवर/कंडक्टर भेजने होंगे। जिनके पास 05 वर्षों का बड़े वाहन बस चलाने का अनुभव हों। एवं लायसेंस संबंधी दस्तावेज दुरुस्त हों।
7. उपरोक्तानुसार 52 सीटर नॉन एसी लग्जरी बस व्यवस्था हेतु ट्रेवल्स एजेंसी /व्यक्ति से प्राप्त प्रस्तावित दरें दिनांक 10/04/2026 को अपरान्ह 04:30 बजे सार्वजनिक रूप से विद्यालय प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य महोदया, समिति सदस्यों एवं संबंधित ट्रेवल्स एजेंसियों/व्यक्तियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।
8. उपरोक्त कार्य व्यवस्था में दायित्वों/निर्देशों का समयसीमा में निर्वहन न किए जाने पर उपरोक्त व्यवस्था समाप्ति का प्राचार्य को विशेषाधिकार होगा।

उपप्राचार्य

प्राचार्य